

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 423]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 सितम्बर 2013—भाद्र 21, शक 1935

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2013

क्र. 988-रा.स.-यू.ए.-5-2013.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (दस) के अन्तर्गत इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक 1718-रास-यू.ए.-5-2011, दिनांक 27 दिसम्बर 2011 द्वारा डॉ. एम.एम. पाण्डेय, डिप्टी डायरेक्टर जनरल (इंजी.), कृषि अनुसंधान भवन-2, पूसा, नई दिल्ली को विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य अधिसूचित किया गया था.

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (दस) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा उक्त अधिसूचना के अनुक्रम में डॉ. एन. एस. राठौर, डिप्टी डायरेक्टर जनरल (इंजी.), कृषि अनुसंधान भवन-2, पूसा, नई दिल्ली को विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नामनिर्दिष्ट सदस्य मनोनीत किया जाता है.

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.